औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ). चूंकि सीमेंट उद्योग 13 मई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के लाइसेंस देने संबंधी उपबन्धों से मुक्त कर दिया गया है, इसलिए अब सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए किसी को भी लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक नहीं रह गया है। सरकार को इसका पता नहीं है कि कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मोहन लाल गंज में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित कर रहा है। सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाना

7205. **श्री निहाल सिंह :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई और अहमदाबाद के बीच बिजली से चलने वाली गाड़ियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी राशि खर्च होगी ; और

(ग) यह कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) विरार और साबरमती के बीच विद्युतीकरण के काम पर 27.45 करोड़ रुपये।

(ग) बम्बई और विरार के बीच के खण्ड का विद्युतीकरण 1500 वोल्ट डी० सी० प्रणाली पर पहले ही किया जा चुका है। विरार और सबारमती के बीच के खण्ड पर कर्षण की 25 किलोवाट ए०सी० प्रणाली पर बिजली लगाने का काम 1968 के मध्य में शुरू होने की संभावना है, जिसे 1971-72 तक पूरा करना है।

सकरीगली स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर माल गाड़ियों का लूटा जाना

7206. **श्री निहाल सिंह :**
श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जून, 1967 के "हिन्दुस्तान" में प्रकाशित समाचार के अनुसार पूर्व रेलवे पर साहिबगंज जंक्शन के सकरीगली स्टेशन पर लगभग 1000 उपद्रवियों ने एक मालगाड़ी को लूटा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस स्टेशन पर 33 डाउन गाड़ी भी लूटी गई थी और आम, प्याज, दूध तथा दूध की बनी चीजें लूट ली गई थीं;

(ग) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरुप कितनी हानि हुई; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, लेकिन जिस गाड़ी को लूटा गया था वह 332 डाउन गया-हावड़ा सवारी गाड़ी थी, न कि 33 डाउन।

(ग) लगभग 970 रुपये।

(घ) सरकारी रेलवे पुलिस, पटना के अधीक्षक को इस मामले की रिपोर्ट की गयी जिन्होंने एक सशस्त्र पुलिस कर्मचारी को मौके पर तैनात कर दिया। स्थानीय सरकारी रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की सहायता से रेलवे सुरक्षा दल, सकरीगली घाट के सहायक उपनिरीक्षक द्वारा तत्काल तलाशी लेने के फलस्वरूप 460 रुपये के मूल्य की सम्पत्ति बरामद की गयी। साहिबगंज को सरकारी रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/379/411।353 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।

कमालगंज और फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच मालगाड़ी की दुर्घटना

7207. श्री निहाल सिंह :
श्री प्रो० प्र० त्यागी :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के कानपुर-फरुखाबाद सेक्शन पर कमालगंज और फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच एक माल गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसका समाचार 27—6—67 के 'वीर अर्जुन' में छपा था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे;

(ग) दुर्घटना के परिणामस्वरूप जान और माल की कितनी हानि हुई; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दुर्घटना 20—6—1967 को हुई।

(ख) दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

(ग) इस दुर्घटना में कोई मरा या घायल नहीं हुआ। रेल सम्पत्ति को लगभग 22500 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(घ) जांच पूरी हो जाने पर उपयुक्त कार्यवाई की जायेगी।

हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड

7208. श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री प्रो० प्र० त्यागी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4123 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता के मैसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के जाली शेयरों और तथा-कथित सौदों के बारे में जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच पूरी करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) (क) से (ग). पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है, तथा यह जांच-पड़ताल अभी तक प्रगति पर है।